XIIवीं योजना (2012–2017) के दौरान महाविद्यालयों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम की विशेष योजना संबंधी

दिशानिर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह ज़फर मार्ग
नई दिल्ली – 110 002
वेबसाइट : **www.ugc.ac.in**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

XIIवीं योजना (2012–2017) के दौरान महाविद्यालयों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम की विशेष योजना संबंधी दिशानिर्देश

i. एम फिल/पीएच डी करने के लिए अध्यापक अध्येतावृत्ति देना
ii. भारत में शैक्षिक सम्मेलनों में अध्यापकों की प्रतिभागिता (पीटीएसी)
iii. युवा संकाय सदस्यों द्वारा प्रतिष्ठित संस्थाओं का अल्पकालिक दौरा

1. प्रस्तावना

इस कार्यक्रम का उद्देश्य संकाय सदस्यों को अनुसंधान करने के पर्याप्त अवसर देकर और संगोष्ठियों/ सम्मेलनों/ कार्यशालाओं में भाग लेने से भी संस्थान में शैक्षिक और बौद्धिक वातावरण को बढ़ाना है। ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने से संकाय सदस्य अपने अनुसंधान और शिक्षाशास्त्र संबंधी कौशल को अद्यतन कर सकेंगे।

इस पृष्ठभूमि में आयोग ने बारहवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम को जारी रखने का निर्णय लिया है।

2. उद्देश्य

1. महाविद्यालयों के अध्यापकों को अपने शैक्षिक/अनुसंधान क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करना है ताकि उन्हें एम फिल/पीएच डी की डिग्री दी जा सके।

2. अध्यापकों को शैक्षिक सम्मेलनों/संगोष्ठियों में लेख प्रस्तुत करने का अवसर देना या कार्यशालाओं में भाग लेने तथा ज्ञान और विचारों का आदान–प्रदान करने का अवसर देना।

3. युवा संकाय सदस्यों को ऐसा अवसर देना ताकि वे बेहतर शैक्षिक जानकारी के लिए अपनी पसंद की संस्थाओं में थोड़ी अवधि (कम से कम दो सप्ताह और अधिक से अधिक 2 माह) बिता सकें।

3. पात्रता/लक्ष्य समूह

आयोग ऐसे महाविद्यालयों के अध्यापकों को सहायता प्रदान करता है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रखी जाने वाली सूची में शामिल हैं।

अध्यापक अध्येतावृत्ति के लिए पात्रता की शर्तें

3.1 अध्यापक अध्येतावृत्ति

3.1.1 अध्यापक को स्थायी होना चाहिए (या सरकारी महाविद्यालयों के मामले में उसे नियमित आधार पर नियुक्त किया गया हो)।

3.1.2 स्वतः वित्तपोषण वाले महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापक भी इसके पात्र होंगे, बशर्ते कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता के मापदंडों को पूरा करते हों।

3.1.3 अध्यापक की उम्र आवेदनपत्र देने की तारीख को 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (महिला अध्यापकों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय के अध्यापकों के मामले में 5 वर्ष की ढील दी जा सकती है)।

3.1.4 अध्यापक के पास 55 प्रतिशत अंकों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय के अध्यापकों के मामले में 50 प्रतिशत अंकों) सहित द्वितीय श्रेणी की कम से कम मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 19 सितंबर, 1991 से पूर्व नियुक्त/सूचीबद्ध अध्यापकों के पास ओ, ए, बी, सी, डी, ई और एफ वर्ण सहित 7 बिंदु ग्रेडिंग मान में मास्टर स्तर या समतुल्य स्तर पर कम से कम 50 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय के अध्यापकों के मामले में 45 प्रतिशत अंक) होने चाहिए।

3.1.5 अध्यापक अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को अध्यापक को कम से कम तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव होना चाहिए।

3.1.6 जिन अध्यापकों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य एजेंसी से पहले कोई अध्यापक अध्येतावृत्ति नहीं ली हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

3.1.7 अध्यापक अध्येता किसी ऐसे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था में एम फिल के लिए पंजीकृत होगा, जो संबंधित विषय में एम फिल कार्यक्रम चलाता हो। जो अध्यापक पीएच डी को पूरा करने के लिए अध्यापक अध्येतावृत्ति चाहते हों, उन्हें किसी भारतीय विश्वविद्यालय में पीएच डी के लिए पहले ही पंजीकृत होना चाहिए और उनके द्वारा कुछ कार्य पूरा किया जाना चाहिए। उसे इस आशय का वचनपत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए कि वह अध्येतावृत्ति की अवधि के अंदर अथवा अध्येतावृत्ति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 6 माह के अंदर शोध प्रबंध प्रस्तुत कर देगा/देगी।

3.1.8 जिन पुस्तकालयाध्यक्षों को पढ़ाने का अनुभव न हो, वे इसके पात्र नहीं होते हैं।

3.1.9 अध्यापक अध्येता को उस संस्था में एम फिल करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें वह नियोजित है बशर्ते कि वह विश्वविद्यालय/महाविद्यालय संबंधित विषय में एम फिल पाठ्यक्रम चलाता हो। इसके अलावा, अध्यापक अध्येता को ऐसी संस्था में पीएच डी करने के लिए अनुसंधान कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जहां वह नियोजित है। बशर्ते कि उस संस्था में अनुसंधान करने के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर शिक्षण की पर्याप्त सुविधाएं हों।

3.1.10 अध्यापक अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान अध्यापक अपनी मूल संस्था से पूरा वेतन (सामान्य वेतन वृद्धि और वरिष्ठता बनाए रखते हुए) प्राप्त करता रहेगा।

3.2 अध्येतावृत्ति की संख्या और आरक्षण

3.2.1 किसी भी एक समय में केवल 20 प्रतिशत स्थायी (सरकारी महाविद्यालयों के मामले में नियमित) अध्यापक किसी संस्था से अध्यापक अध्येतावृत्ति का लाभ उठाने के पात्र होंगे। इस बात की जिम्मेदारी संस्था की होगी कि यह संख्या 20 प्रतिशत से अधिक न हो और प्रत्येक बार संस्था से आवेदनपत्र अग्रेषित किया जाता है। इस संबंध में इस बात का

उल्लेख करते हुए प्रमाणपत्र देना होता है कि यह संख्या 20 प्रतिशत की सीमा के अंदर है।

3.2.2 महाविद्यालय को आबंटित कुल अध्येतावृत्ति में से 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी लेयर) के लिए आरक्षण, आयु में ढील ऐसे अध्यापकों पर लागू होगी जो सक्षम/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित आय का सबूत प्रस्तुत करें।

3.3 अध्यापक अध्येतावृत्ति की अवधि और विस्तार का प्रावधान

3.3.1 पीएच डी कार्यक्रम के लिए अध्यापक अध्येतावृत्ति की अवधि दो वर्ष होगी। पीएच डी के उम्मीदवारों को औचित्य के आधार पर, पर्यवेक्षक/गाइड की सिफारिश और मूल संस्था से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के आधार पर एक वर्ष की अवधि बढ़ाई जा सकती है। एम फिल कार्यक्रम के लिए अध्यापक अध्येतावृत्ति एक वर्ष के लिए होगी। यदि आवश्यक और उचित हो तो आगे 6 माह की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अवधि बढ़ाने की प्रक्रिया वैसे ही होगी जैसेकि पीएच डी के उम्मीदवार के लिए होती है।

3.4 एम फिल/पीएच डी पूरी न कर पाना

3.4.1 यदि अध्यापक अध्येता एम फिल/पीएच डी पूरी नहीं करता है या बीच में ही इसे छोड़ देता है तो आकस्मिक व्यय की रकम (दांडिक ब्याज सहित) और एवजी अध्यापक का वेतन/अतिथि संकाय का मानदेय उसे अध्यापक अध्येता से वसूल किया जा सकता है।

4. इस योजना के अधीन आवेदनपत्र देने की प्रक्रिया

संस्था नीचे दिए गए गठन के अनुसार एक चयन समिति गठित करेगी। सूची तैयार करते समय विभिन्न विषयों के अध्यापकों के चयन में सावधानी बरती जानी चाहिए। चयन समिति उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा (अनुबंध–I, II और III) में प्रस्तुत किए गए आवेदनपत्रों और प्रमाणपत्रों की समीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदक अध्यापक अध्येतावृत्ति दिए जाने के लिए

आयोग द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। चयन समिति की कार्यवाही के साथ इस आशय का एक प्रमाणपत्र लगाया जाएगा जिस पर सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए जाएंगे।ऐसे अध्यापकों के मामले में "संकाय विकास कार्यक्रम" के अधीन अध्यापक अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने संबंधी आवेदनपत्रों पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक निम्नलिखित सदस्यों वाली चयन समिति द्वारा सिफारिश नहीं की जाती है:

चयन समिति का गठन

1. महाविद्यालय का प्रधानाचार्य

2. यदि उम्मीदवार विभागाध्यक्ष हो तो प्रधानाचार्य द्वारा नामित महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष/एक वरिष्ठ अध्यापक

3. संबद्ध विश्वविद्यालय का नामिती, बेहतर होगा कि वह महाविद्यालय विकास परिषद् का निदेशक हो

4. संबंधित संस्था से भिन्न शिक्षण विभाग/महाविद्यालय का एक विषय विशेषज्ञ

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों या अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के संबंध में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नामिती या अल्पसंख्यक समुदाय का नामिती हो सकता है।

5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया

चयन समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने पर आयोग अध्येतावृत्ति दिए जाने और उसकी अवधि के संबंध में निर्णय लेगा। इस संबंध में किया जाने वाला सभी पत्राचार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो के प्रभारी अधिकारी को संबोधित किया जाएगा।

6. इस योजना के अधीन उपलब्ध सहायता का प्रकार

6.1 आकस्मिक अनुदान

अध्यापक अध्येता वास्तविक आकस्मिक व्यय का पात्र होगा, जो प्रति वर्ष अधिकतम 15,000/– रुपए होगी। कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट और निर्धारित प्रोफर्मा **(अनुबंध IV और V)** में आकस्मिक अनुदान का लेखा तथा लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उस क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके क्षेत्राधिकार में मूल संस्था स्थित है। जहां कहीं आवश्यक हो, दस्तावेजों पर गाइड/पर्यवेक्षक और विभागाध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे, जहां अध्यापक अध्येता अनुसंधान कार्य कर रहा है।

1. इस अनुदान का उपयोग उपभोज्य सामग्री, रसायन, उपस्कर, पुस्तकें और पत्रिकाओं की खरीद के लिए किया जाएगा, जिनमें फोटोस्टेट प्रतियों और माइक्रोफिल्म, टाइप कार्य, लेखनसामग्री, डाक टिकट और अनुसंधान गाइड के अनुमोदन से अनुमोदित अनुसंधान कार्यक्रम के संबंध में अध्यापक अध्येता द्वारा की जाने वाली यात्रा का व्यय भी शामिल होगा।

2. आकस्मिक अनुदान फर्नीचर, बर्तन और ऐसी अन्य मदों पर किए जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिए नहीं होता है जिसे सामान्यतः संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है और यह प्रवेश/पंजीकरण/अनुशिक्षण शुल्क आदि जैसे परीक्षा शुल्क या अन्य शुल्कों की अदायगी के लिए नहीं होता है।

3. अनुमोदित फील्ड कार्य और अनुसंधान कार्य के संबंध में यात्रा और अध्यापक अध्येता द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान कार्य के संबंध में संगोष्ठी/विचार–गोष्ठी आदि के लिए की जाने वाली यात्रा के संबंध में यात्रा भत्ता उस महाविद्यालय के शिक्षण स्टाफ पर लागू नियमों के अनुसार स्वीकार्य होगा, जहां अध्यपक नियोजित है। इस संबंध में किए जाने वाले व्यय को आकस्मिक अनुदान में नामे डाला जाएगा। इस प्रयोजन के लिए कोई अतिरिक्त अनुदान नहीं दिया जाएगा।

6.2 छुट्टी नियम

अध्यापन की जिम्मेदारी के बिना छुट्टी पर रहने वाले अध्यापक अध्येता को प्रावकाश अवधि अर्थात ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और पूजा प्रावकाश आदि के दौरान कार्य करना होगा, जब पुस्तकालय

और प्रयोगशालाएं खुली रहती हैं। अध्यापक अध्येता के छुट्टी के आवेदनपत्र पर विचार किया जाएगा और उसके संबंध में उस अध्यापक की मूल संस्था में अध्यापकों पर लागू छुट्टी नियमावली के अनुसार संबंधित संस्था द्वारा निर्णय लिया जाएगा। एवजी अध्यापक नियमानुसार महाविद्यालय के प्रावकाश/अवकाश और आकस्मिक छुट्टी का हकदार होगा। एवजी महिला अध्यापक प्रसूति छुट्टी की हकदार होंगी। यदि उनके स्थान पर कोई एवजी अध्यापक नियुक्त किया जाता है तो वह उस अवधि के दौरान किसी वेतन को प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी। एवजी अध्यापक एवजी छुट्टी का हकदार नहीं होगा।

6.3 यात्रा भत्ता

अध्यापन से छुट्टी पर रहने वाला अध्यापक अध्येता अपनी हकदारी के अनुसार, महाविद्यालय के नियमों के अनुसार अनुसंधान केंद्र में कार्यभार संभालने और अनुसंधान कार्य पूरा करने के बाद मूल संस्था में लौटने के लिए भी वास्तविक रेल भाड़े या बस भाड़े की प्रतिपूर्ति का दावा करने का पात्र होगा, बशर्ते कि महाविद्यालय (मूल संस्था) और अनुसंधान केंद्र के बीच की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक हो। इस संबंध में किया जाने वाला व्यय आकस्मिक अनुदान से पूरा किया जाएगा।

6.4 एवजी अध्यापक का वेतन

महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहायक प्रोफेसर के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतनमान में (बिना वेतन वृद्धि के) एवजी अध्यापक की नई नियुक्ति करेगा। यदि सहायक प्रोफेसर के न्यूनतम वेतनमान से उच्च वेतनमान में एवजी अध्यापक की नियुक्ति की जाती है तो प्रतिस्थानी अध्यापक के वेतन की प्रतिपूर्ति के संबंध में अनुदान की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा न्यूनतम वेतनमान में अदायगी की जाएगी और शेष रकम संबंधित संस्था/महाविद्यालय द्वारा या संबंधित राज्य सरकार द्वारा पूरी की जाएगी। इसके अलावा, एवजी अध्यापक वार्षिक वेतन वृद्धि का हकदार नहीं होगा। यदि पदों को स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर भरा जाता है तो एवजी अध्यापकों के वेतन के दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। एवजी अध्यापक को पूर्णकालिक आधार पर ही नियुक्त किया जाना चाहिए। एवजी अध्यापक का वेतन, अध्यापक अध्येता की कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट प्राप्त होने पर और एवजी अध्यापक के संबंध में निम्नलिखित सूचना सहित वेतन का दावा प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अग्रिम रूप से अदा किया जाएगाः

i. एवजी अध्यापक का नाम

ii. जन्म की तारीख

iii. योग्यताएं (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए)

iv. अनुभव

v. कार्यभार ग्रहण करने की तारीख

vi. वेतन के विवरण, जिसमें अनुमोदित वेतनमान में प्रति माह देय भत्ते भी शामिल हैं।

vii. वित्त वर्ष के दौरान देय रकम

viii. प्रधानाचार्य से इस आशय का प्रमाणपत्र कि एवजी अध्यापक की नियुक्ति विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है।

ix. एवजी अध्यापक की नियुक्ति के बारे में संबद्ध विश्वविद्यालय/राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन पत्र।

पिछले माह की सेवा के संबंध में वेतन और भत्ता की अदायगी लेखापरीक्षित दस्तावेज प्राप्त करने के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में की जाएगी। यदि अध्येता अध्यापक की अवधि बढ़ाई जाती है तो एवजी अध्यापक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वेतन प्राप्त करता रहेगा।

यदि शुरू में एवजी अध्यापक की नियुक्ति करना संभव नहीं होता है या यदि एवजी अध्यापक की नियुक्ति में विलंब होता है तो 1000/– रुपए प्रति व्याख्यान के मानदेय के आधार पर प्रवक्ता की व्यवस्था की जाएगी, परंतु यह रकम अधिक से अधिक 25,000/– रुपए प्रति माह तक होगी।

इस संबंध में संबद्ध विश्वविद्यालय/राज्य सरकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा। लेकिन एवजी अध्यापक की नियुक्ति जल्दी करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

7.1 आकस्मिक अनुदान

अध्यापक अध्येतावृत्ति के लिए पहले वर्ष के आकस्मिक व्यय के लिए अनुदान कार्यभार रिपोर्ट प्राप्त होने पर अध्यापक अध्येता की संस्था को अदा किया जाएगा। दूसरे वर्ष का आकस्मिक व्यय का अनुदान, अनुदान की पहली किस्त के संबंध में ऐसा लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर अदा किया जाएगा, जिस पर संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों और दूसरे वर्ष के संबंध में व्यय का मद–वार लेखापरीक्षित विवरण तथा शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की रिपोर्ट के आधार पर अदा किया जाएगा।

7.2 एवजी अध्यापक (यदि नियुक्त किया गया हो) के वेतन के संबंध में अनुदान उस महाविद्यालय (मूल संस्था) को अदा किया जाएगा, जहां अध्यापक अध्येतावृत्ति का कार्यभार संभालने से तत्काल पूर्व कार्यरत था ।

8. योजना की प्रगति की मॉनीटरिंग करने की प्रक्रिया

अध्यापक अध्येतावृत्ति

1. अध्येतावृत्ति की आधी अवधि पूरी होने के बाद अध्यापक अध्येता के पर्यवेक्षक/गाइड को प्रगति रिपोर्ट अवश्य देनी चाहिए। यदि पर्यवेक्षक/गाइड द्वारा नकारात्मक रिपोर्ट दी जाती है तो अध्यापक अध्येता को दी गई अध्येतावृत्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वापस ले ली जाएगी।

2. यदि अध्यापक अध्येता पीएच डी/एम फिल कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाता है या उसे बीच में छोड़ देता है तो उसे अध्यापक अध्येतावृत्ति के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अदा की गई संपूर्ण रकम लौटानी होगी।

3. अध्यापक को चाहिए कि वह अध्यापक अध्येतावृत्ति की अवधि पूरी होने के बाद अधिक से अधिक 6 महीने के अंदर पीएच डी/एम फिल का शोध प्रबंध प्रस्तुत करने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर दे। लेकिन वह स्थान तब तक खाली रहेगा जब तक शोध प्रबंध प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है और उसकी सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नहीं दी जाती है।

4. अध्यापक को इस आशय का वचनपत्र अवश्य देना चाहिए कि यदि वह एम फिल/पीएच डी का शोध प्रबंध प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अदा की गई

अध्येतावृत्ति की संपूर्ण रकम दांडिक ब्याज सहित लौटा देगा। इसके अलावा, अध्येता अध्यापक से एवजी अध्यापक का वेतन/अतिथि संकाय का मानदेय वसूल किया जाएगा।

9. शैक्षिक सम्मेलनों में अध्यापकों की प्रतिभागिता (पीटीएसी)

9.1 आयोग भारत में आयोजित शैक्षिक सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए स्थायी अध्यापकों या नियमित आधार पर नियुक्त अध्यापकों (सरकारी महाविद्यालयों के मामले में) की सहायता करेगा।

9.2 जिन स्थायी/नियमित अध्यापकों के लेख किसी सम्मेलन/ संगोष्ठी/ कार्यशाला/ विचार–गोष्ठी में प्रस्तुत किए गए हों, वे इस योजना के अधीन मिलने वाली सहायता का लाभ उठा सकते हैं।

9.3 इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पूर्व–अनुमोदन आवश्यक नहीं है। इस योजना के संबंध में महाविद्यालय का प्रधानाचार्य नोडल अधिकारी होगा।

9.4 प्रतिभागी अध्यापकों को उस संस्था के नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा, जहां वह अध्यापक नियोजित है और इसके संबंध में पंजीकरण शुल्क की अनुमति दी जाएगी। महाविद्यालय को दी जाने वाली सहायता मापदंडों (पैरा 3.2.1) के अनुसार उस महाविद्यालय के अध्यापकों की संख्या पर निर्भर करेगी। इस योजना के अधीन इस योजना अवधि के दौरान 20 प्रतिशत अध्यापक इस सहायता का लाभ उठाने के पात्र होंगे।

9.5 संगोष्ठी/ सम्मेलन/कार्यशाला/विचार–गोष्ठी में भाग लेने के संबंध में खर्च की गई रकम की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए विधिवत भरा गया प्रोफार्मा **(अनुबंध–VI)** और निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:

1. लेख प्रस्तुत करने के बारे में आयोजनकर्ताओं का प्रमाणपत्र।
2. प्रधानाचार्य का इस आशय का प्रमाणपत्र कि संबंधित अध्यापक उस संस्था का स्थायी/नियमित अध्यापक है।

3. अदा किए गए पंजीकरण शुल्क की रसीद की साक्ष्यांकित फोटो प्रति।

4. प्रधानाचार्य/कुल सचिव द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र कि ये दावे विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नियमों के अधीन हकदारी के अनुसार हैं।

5. लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र और लेखापरीक्षित व्यय विवरण (जिसमें रेल भाड़े, टैक्सी भाड़े आदि जैसे भाड़ों का विवरण दिया गया हो)।

10. युवा संकाय सदस्यों द्वारा प्रतिष्ठित संस्थाओं का अल्पकालिक दौरा

10.1 आयोग 40 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय और महिला अध्यापकों के मामले में 45 वर्ष) से कम उम्र के स्थायी/नियमित अध्यापकों को अपनी पसंद की प्रतिष्ठित संस्थाओं में थोड़ा समय (कम से कम दो सप्ताह और अधिक से अधिक दो माह) बिताने के लिए सहायता प्रदान करेगा ताकि वे अपने अनुसंधान और शिक्षाशास्त्र संबंधी कौशल में सुधार कर सकें और उसे अद्यतन कर सकें।

10.2 प्रधानाचार्य को सहायता के लिए आवेदनपत्र देते समय मेजबान संस्था की स्वीकृति अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रधानाचार्य यह आवेदनपत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अग्रेषित करेगा।

10.3 कोई भी अध्यापक इस योजना अवधि के दौरान दो से अधिक बार इस प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर का लाभ उठा सकता है। जिस संस्था में वह अध्यापक नियोजित है, उस संस्था के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नियम उस पर लागू होंगे।

प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र दिया जाता है कि ये दावे विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नियमों के अधीन हकदारी के अनुसार हैं। यह प्रमाणपत्र निर्धारित आवेदनपत्र **(अनुबंध–VII)** के साथ संलग्न किया जाएगा।

महाविद्यालय के लिए योजना की संपूर्ण अवधि के संबंध में इस सहायता (अल्पकालिक दौरा) की अधिकतम सीमा नीचे दिए अनुसार होगी और महाविद्यालय द्वारा इसका दावा वार्षिक रूप से किया जाना चाहिए :

स्थायी/नियमित अध्यापकों की संख्या	संपूर्ण अवधि के संबंध में अधिकतम सीमा
25 तक	2.00 लाख रुपए
50 तक	3.00 लाख रुपए
100 और उससे अधिक तक	5.00 लाख रुपए

अनुबंध I : अध्यापक अध्येतावृत्ति का आवेदनपत्र

अनुबंध II : उस संस्था द्वारा दिया जाने वाले वचनपत्र, जहां अध्यापक नियोजित है

अनुबंध III : अध्यापक अध्येता के अनुसंधान केंद्र द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र

अनुबंध IV : अध्यापक अध्येता की कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट

अनुबंध V : आकस्मिक अनुदान का लेखा और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का प्रोफार्मा

अनुबंध VI : पीटीएसी के अधीन दावा प्रस्तुत करने का प्रोफार्मा

अनुबंध VII : अल्पकालिक दौरों के लिए आवेदनपत्र देने का प्रोफार्मा

अनुबंध–I

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

महाविद्यालय द्वारा प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख :

संकाय विकास कार्यक्रम योजना के अधीन अध्यापक अध्येतावृत्ति का आवेदन फार्म

(यह फार्म सावधानी से अवश्य भरा जाना चाहिए। अपूर्ण फार्म रद्द कर दिया जाएगा)

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : श्री/सुश्री .....

2. उस संस्था का नाम और पता, जहां वह अध्यापक वर्तमान में नियोजित है .....
.....
.....

टेलीफोन नंबर और एसटीडी कोड .....

फैक्स ..... ई–मेल : .....

3. जन्म की तारीख : .....

4. पुरुष/महिला : .....

5. क्या अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय के हैं : .....

6. घर का स्थायी पता .....
.....

7. क्या अध्यापक एम फिल करना चाहता है या पीएच डी पूरी करना चाहता है :

8. सेवा के ब्योरेः
   i. नियुक्ति की तारीख
   ii. स्थायीकरण की तारीख (या सरकारी महाविद्यालय के मामले में नियमित आधार पर नियुक्ति की तारीख)

9. i. उस संस्था का नाम, जहां एम फिल में दाखिल लिया जाना है/जहां ऐसा अनुसंधान कार्य करने का प्रस्ताव है जिससे पीएच डी की डिग्री मिलेगी .....

   टेलीफोन नंबर और एसटीडी कोड .....

फैक्स ..... ई–मेल : .....

ii. विभाग का नाम : .....
टेलीफोन नंबर ..... फैक्स ..... ई–मेल : .....
.....

10. (क) एम फिल और/या पीएच डी के अनुसंधान कार्य का विषय/क्षेत्र :

(ख) पीएच डी का अनुसंधान कार्य पहले ही कहां तक पूरा कर लिया गया है और शेष कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय : .....

11. उस पर्यवेक्षक का नाम और पदनाम, जिसके साथ अनुसंधान कार्य करने का प्रस्ताव है :

12. एम फिल में दाखिला लेने/पीएच डी के लिए पंजीकरण करने की तारीख :

13. ऐसे अनुसंधान कार्य से संबंधित कोई अन्य सूचना जिससे पीएच डी की डिग्री मिलेगी। इसमें प्रस्तुत किए गए/प्रकाशित किए गए अनुसंधान लेखों का विवरण भी शामिल है।

.....

हस्ताक्षर

स्पष्ट अक्षरों में नाम .....

पदनामः .....

स्थान : .....

तारीख : .....

वचनपत्र

मैं, एतद्‌द्वारा घोषित करता/करती हूं कि मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के "संकाय विकास कार्यक्रम" के अधीन अध्यापक अध्येतावृत्ति से संबंधित नियमों को पढ़ लिया है और यदि मुझे अध्येतावृत्ति दी जाती है तो मैं यह वचन देता/देती हूं कि मैं अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान अनुसंधान पर्यवेक्षक/गाइड के दिशानिर्देशों के अधीन संबंधित विषय पर कार्य करने के लिए अपना पूरा समय लगाऊंगा/लगाऊंगी। यदि मैं अध्यापक अध्येतावृत्ति की अवधि* के अंदर एम फिल/पीएच डी का शोध प्रबंध प्रस्तुत नहीं कर सकूंगा/सकूंगी तो मैं वह संपूर्ण रकम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को (दांडिक ब्याज सहित) लौटा दूंगा/दूंगी और मेरे स्थान पर नियुक्त एवजी अध्यापक/अतिथि संकाय को अदा की गई रकम भी लौटा दूंगा/दूंगी।

मैं यह भी घोषित करता/करती हूं कि जहां तक मुझे जानकारी और विश्वास है, इस फार्म में दिए गए ब्योरे सही हैं।

अध्यापक (आवेदक) के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

मुहर सहित प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर

महाविद्यालय का नाम .....पता : .....

.....

.....

* जिसे विशेष परिस्थितियों में 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है।

अनुबंध–II

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उस संस्था द्वारा दिया जाने वाले वचनपत्र, जहां अध्यापक नियोजित है

महाविद्यालय एतद्द्वारा यह वचन देता है कि वह शैक्षिक छुट्टी की अवधि के दौरान संबंधित अध्यापक की कुल परिलब्धियों को बनाए रखेगा और जब कभी देय होंगी, उसे आवश्यक वेतन वृद्धि भी देगा। महाविद्यालय यह भी वचन देता है कि वह अध्यापक की वरिष्ठता और नियोजन संबंधी उसके लाभों को भी बनाए रखेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक इस महाविद्यालय का स्थायी अध्यापक है/उसे नियमित आधार पर (सरकारी महाविद्यालय के मामले में) नियुक्त किया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक किसी अन्य स्रोत से (महाविद्यालय से प्राप्त होने वाले वेतन के सिवाय) कोई वित्तीय सहायता/अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है।

मुहर सहित प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर

महाविद्यालय का नाम .....पता : .....

.....

.....

अनुबंध–III

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उस संस्थान द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र, जहां अध्यापक एम फिल/पीएच डी के लिए पंजीकृत है

प्रमाणित किया जाता है कि ..... (अध्यापक अध्येता का नाम) को ऐसा अनुसंधान कार्य करने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी जिससे उसे एम फिल/पीएच डी की डिग्री प्राप्त हो।

.....

पर्यवेक्षक/अनुसंधान गाइड के हस्ताक्षर

.....

विभागध्यक्ष के हस्ताक्षर

.....

कुल सचिव/प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और मुहर

विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय का नाम .....पता : .....

.....

.....

फोन नंबर : ..... फैक्स : ..... ई–मेल : .....

अनुबंध–IV

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अध्यापक अध्येता की कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट

संकाय विकास कार्यक्रम – अध्यापक अध्येतावृत्ति

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ..... ने, जो.....नामक महाविद्यालय में अध्यापक/ ..... (पदनाम का उल्लेख करें) के रूप में कार्य कर रहा/रही है, दिनांक ..... (पूर्वाह्न/अपराह्न) को ..... (स्थान का नाम) में स्थित ..... विभाग में कार्यभार ग्रहण कर लिया है और वह ..... के निर्देशन में अपना अनुसंधान कार्य कर रहा/रही है। उसे दिनांक ..... को एम फिल पाठ्यक्रम में दाखिल दे दिया गया है/पीएच डी के लिए पंजीकृत किया गया है।

संबंधित अध्यापक ने ..... से ..... (विश्वविद्यालय/संस्था) तक यात्रा करने के लिए ..... श्रेणी का रेल भाडे/बस भाड़े के रूप में ..... रुपए का वास्तविक व्यय किया है। जिस श्रेणी में उसने यात्रा की है, वह महाविद्यालय/संस्था के नियमों के अनुसार स्वीकार्य है। उसकी मूल संस्था और अनुसंधान केंद्र के बीच की दूरी ..... किलोमीटर है।

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्था को उसके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष तक आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए 15000/– रुपए के आकस्मिक अनुदान में से ..... रुपए की आवश्यकता है।

.....

अनुसंधान गाइड के हस्ताक्षर

(मुहर)

.....

प्रधानाचार्य (मूल संस्था) के हस्ताक्षर

(मुहर)

अनुबंध–V

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

आकस्मिक अनुदान का लेखा और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का प्रोफार्मा

1. अध्यापक अध्येता का नाम :

2. उस महाविद्यालय का नाम, जहां वह नियोजित है :

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उस पत्र की संख्या और तारीख जिसके अधीन यह अनुदान दिया गया था :

4. अवधि जिससे संबंधित यह आकस्मिकता अनुदान का लेखा है।

प्रमाणित किया जाता है कि आयोग के पत्र सं. एफ..... दिनांक ..... के जरिए 15000/ रुपए के आकस्मिक अनुदान में से उपर्युक्त ..... रुपए (..... ..... रुपए) का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था और इसे आकस्मिक अनुदान के उपयोग के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार खर्च किया गया है।

यदि जांच या लेखा आपत्ति के परिणामतः बाद में किसी अनियमितता का पता चलता है तो उस रकम की वसूली/समायोजन के लिए कार्रवाई की जाएगी।

प्रत्येक मद पर किया गया व्यय

व्यय	**रकम**	**तारीख**
i.		
ii.		
iii.		
iv.		
v.		
जोड़ :		

.....

(अध्यापक अध्येता के हस्ताक्षर)

.....

(अनुसंधान गाइड के हस्ताक्षर)

(मुहर)

.....

{प्रधानाचार्य (मूल संस्था) के हस्ताक्षर}

(मुहर)

.....

(सनदी लेखाकार/सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर)

(मुहर)

उपयोगिता प्रमाणपत्र उस संस्था को दिया जाना चाहिए, जहां अध्यापक अध्येता के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले कार्यरत था ताकि वह संस्था उस उपयोगिता प्रमाणपत्र को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अग्रेषित कर सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजने से पहले मूल संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

अनुबंध–VI

अध्यापक द्वारा भारत में शैक्षिक सम्मेलनों में भाग लेना

1. अध्यापक का नाम :
2. उस सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशाला का नाम, जिसमें भाग लिया :
3. क्या लेख प्रस्तुत किया गया : (हॉ/नहीं)

कृपया खंड 9.5 के अनुसार विवरण प्रस्तुत करें।

अनुबंध–VII

अल्पकालिक दौरे

1. अध्यापक का नाम :
2. क्या स्थायी/नियमित है : हॉ/नहीं
3. अध्यापक की उम्र :

कृपया खंड 10.2 और 10.3 के अनुसार विवरण प्रस्तुत करें।